



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 464 राँची, सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (श०)
7 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-29/2022-21787 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती वंदना भारती, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद के विरुद्ध जमीन के नामांतरण वादों के निष्पादन में सरकारी हितों के प्रतिकूल कार्य करने, राजस्व कार्यों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता, अवैध रूप से ऑनलाइन जमाबंदी कायम करना तथा बाद में कुछ जमाबंदी को विहित प्रक्रिया के विरुद्ध ऑनलाइन डिलिट करना एवं पुनः उसे ऑनलाइन प्रविष्टि करना, बहुमूल्य सरकारी भूमि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने एवं निजी स्वार्थ के लिए विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-833/स्था०, दिनांक 15.12.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती भारती के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती भारती को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती भारती द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती भारती के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, धनबाद को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती वंदना भारती, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BANDANA BHARTI 110033395465	श्रीमती वंदना भारती, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
